प्रेस नोट

थाना - बहादुरगढ़ दिनांक 02.04.2024

थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अन्दर 06 वर्षीय मासूम बच्ची के हत्याकांड का किया सफल अनावरण

- **थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा 06 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त हत्यारोपी मां व तहेरा भाई को किया गिरफ्तार।**
- **जिनके कब्जे से आलाकत्ल दरांती, दो डंडे व घटना कारित करते समय हत्यरोपियों द्वारा पहने गए रक्तरंजित कपड़े बरामद।**
- **मृतका की मां (हत्यारोपी) व तहेरे भाई के बीच अवैध सम्बन्ध थे, जिनको बच्ची द्वारा आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके कारण अवैध सम्बन्धों का भेद उजागर होने के डर से दोनों हत्यारोपियों ने मिलकर की थी मासूम बच्ची की हत्या।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.03.2024 को समय करीब 19.30 बजे ग्राम जखैड़ा रहमतपुर निवासी एक महिला द्वारा थाना बहादुरगढ़ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उसकी करीब 06 वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेलते समय कहीं गुम हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्ची की तलाश प्रारम्भ की गई तो बच्ची का शव उसके घर के पास से ही एक खंडरनुमा मकान से बरामद हुआ।

उक्त सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उच्चाधिकारीगण व फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ मु0अ0सं0 67/2024 धारा 302, 201 भादवि पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बहादुरगढ़ की पुलिस टीम द्वारा 06 वर्षीय मासूम की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त हत्यारोपी मां व तहेरा भाई को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से आलाकत्ल दरांती, 02 डंडे व रक्तरंजित कपड़े बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताक्ष का विवरण-

अभियुक्ता मृतका की मां तथा सह अभियुक्त अंकित ने पूछताछ पर बताया कि दोनों के मध्य पूर्व से प्रेम प्रंसग रहा था तथा दिनांक 01.04.2024 को हम दोनों को मृतका मासूम बच्ची ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था जिस कारण स्वंय का भेद उजागर हो जाने के डर से हम दोनों ने घर मे रखी दरांती से बच्ची की हत्या कर बच्ची के शव को छिपाने के उद्देश्य से गांव में खाली पडे खण्डर मकान में डाल दिया था, इसके पश्चात अपराध को छिपाने के उद्देश्य से बच्ची के गुम हो जाने की बात परिजनो तथा गांव वालो को बतायी।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः- ग्राम जखेड़ा रहमतपुर से व **दिनांक** 02.04.2024 ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. सुलेखा पत्नी राजीव तोमर निवासी ग्राम जखेड़ा रहमतपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़। **(मृतका की माता)**
2. अंकित कुमार पुत्र अनिल निवासी ग्राम जखेड़ा रहमतपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़। **(मृतका का तहेरा भाई)**

बरामदगी का विवरणः-

1. आलाकत्ल दरांती व दो डंडे
2. घटना कारित करते समय हत्यरोपियों द्वारा पहने गए रक्तरंजित कपड़े।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
2. उ0नि0 श्री वरूण कुमार सिंह थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
3. हे0कां0 251 मुकेश कुमार थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
4. हे0कां0 308 गजेन्द्र शर्मा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
5. हे0कां0 825 अंकुर राणा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
6. म0कां0 401 रेखा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
7. म0कां0 388 टीना थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।